बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सचिका सं0 – 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –04 / 2023 4201 **दिनांक** 05/06/2023

आदेश

प्रस्तुत अपील ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री आशीष कुमार (EMP ID –AEN03418) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश संख्या 4712 दिनांक 23.12.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री आशीष कुमार को अपील की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई है। निर्धारित तिथि 03.03.2023 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक 23.09.2022 को रात्री 8:22 बजे डा0 अभिषेक प्रियरंजन, जिला सचिव दैनिक अयोध्या टाइम्स सीतामढ़ी बिहार द्वारा पर्चा वायरल किया गया। विडियो / पर्चा मैसेज में कही भी उनके द्वारा रैयतो से पैसे का लेनदेन करते अथवा बातचीत करते नहीं देखा जा रहा है बल्कि बातचीत में रैयतों से उनके भूमि के स्वामित्व के कागजात देने एवं खाता खोलने की बात कही तथा सुनी जा सकती है। श्री सियाराम प्रसाद, प्रधान लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 23.09.2022 को उक्त वायरल पर्चा सीतामढ़ी के ऑफिसियल व्हॉटस्प ग्रुप ''टीम सर्वे सीतामढ़ी'' में फारवर्ड किया गया है। श्री गोपाल कृष्ण चौधरी, शिविर प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाजपट्टी–1 द्वारा उक्त वायरल पर्चा में दिख रहे लोगों से वायरल आरोपो के संदर्भ में जाँच एवं साक्ष्य के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढी को अपने पत्रांक 139 दिनांक 26.03.2022 द्वारा लगाए गये आरोपो को गलत करार दिया गया है। ग्रामीण रामशीष महतो, रमाशंकर महतो एवं अन्य द्वारा अपने बहन के नाम की भूमि को अपने नाम से खाता खोलने में असफल रहने के कारण खीज कर गलत कार्य करने हेतु दबाब बनाने की रणनीति के तहत नेतानुमा, छुटभैया पत्रकार का सहारा लेकर पर्चा वायरल कराया गया है जबकि रामशीष महतो वो रमाशंकर महतो पिता स्व0 जानकी महतो साकिम दढ़ी केशोपुर एवं सोमारी देवी पति रमाशंकर महतो इत्यादि रैयतो के नाम से उनके वैध भूमि का खाता पहले ही प्रपत्र–7 में खोल दिया गया था। उपरोक्त वायरल पर्चा के संबंध में बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी एवं विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय बाजपट्टी–1 द्वारा दी गई तफतीश के क्रम में स्थानीय ग्रामीण आम जनता ढढी केशोपुर, सरपंच ग्राम कचहरी हुमॉयूपुर एवं प्रखंड प्रमुख बाजपट्टी द्वारा अपने–अपने आवेदन पत्र एवं लेटर पैड पर आरोपकर्त्तोओं द्वारा लगाए गए आरोपो को व्यक्तिगत स्वार्थवश लगाया गया झूठा आरोप करार देते हुए उनके द्वारा किए गये सर्वे के कार्यो को सही करार देते हुए उनके व्यवहार एवं आचरण की प्रशंसा की गई है।

निदेशालय भू–अभिलेख एव परिमाप, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त मंतव्य में स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन, इनके द्वारा दी गयी स्पष्टीकरण एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकनोंपरांत पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सर्वे कार्यो में अनियमिता बरती गयी है एवं भ्रष्टाचार जैसा कार्य किया गया है। इनके इस कृत्य से सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े इसे दृष्टिगत रखते हुए इन्हें सेवा में बनाए रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अपीलार्थी के विरूद्ध लगे आरोप उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी के मंतव्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)'' में वर्णित प्रावधान के तहत श्री आशीष कुमार (EMP ID –AEN03418) का संविदा अनुबंध रद्द किया गया है। उभय पक्षो को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री आशीष कुमार पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध लगाये गए आरोप सत्य प्रतीत होते हैं।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या 4712 दिनांक 23.12.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक श्री आशीष कुमार (EMP. Id -AEN03418) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(5) अपील–04 / 2023...4701...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : श्री आशीष कुमार (EMP ID –AEN03418) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, सीतामढ़ी, e-Mail Id- ashish.deo009@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(5) अपील–04 / 2023...4701...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) सीतामढ़ी, को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(5) अपील–04 / 2023...4701...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : संबंधित स्थापना, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

B:\Dharmveer\Y-2023\Aakash Jee\Order\04-2023 22-05-2023.docx

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(5) अपील–04 / 2023 4701 पटना, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(5) अपील–04 / 2023 4701 पटना, दिनांक 05/06/2023

प्रतिलिपि : श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप